# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 825/2025**

रामावतार उपाध्याय

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि विभाग, पंथ कृषि भवन, वानिकी मार्ग, जनपथ, सी–स्कीम, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 20.01.2025
**आदेश की दिनांक** :
**उपस्थित –**
अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मी कांत शर्मा, अधिवक्ता

**समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी दिनांक 2.1.2025 के स्थानांतरण आदेश से गंभीर रूप से व्यथित है, जिसके तहत आलौच्य आदेश के सूची क्रमांक 243 पर सूचीबद्ध अपीलार्थी को मुख्यालय दूनी, सहायक निदेशक कृषि (विपणन) दूनी से सहायक निदेशक कृषि (विपणन) टोंक के मुख्यालय निवाई कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 1996 में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर हुई थी तथा वर्तमान में वह सहायक कृषि अधिकारी दूनी, जिला टोंक के पद पर कार्यरत है। सेवाकाल के दौरान अपीलार्थी विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित किया गया और हमेशा अपीलार्थी ने ही कर्तव्यों का निर्वहन किया। अपीलार्थी को दिनांक 22.1.2024 के आदेश के तहत पदोन्नत किया गया था और उसी स्थान पर तैनात रखा गया था और अब अपीलार्थी की जानकारी के बिना ही उसे विवादित आदेश द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया है क्योंकि अपीलार्थी की जन्म तिथी 1.7.1965 होने के कारण अपनी सेवानिवृत्ति के कगार पर है। (अनुलग्नक–2 व 3) अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति के कगार पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे दूनी में पद रिक्त रह गया है। इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानांतरण अवैध, दुर्भावनापूर्ण और बिना सोचे–समझे किया गया है और राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति के भी विरुद्ध है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यथी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के मामले का संपूर्ण रिकॉर्ड मंगाया जावे एवं उसकी जांच की जाकर अपीलार्थी

के संबंध में दिनांक 02.01.2025 को जारी आदेश को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही कार्यरत रखा जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में प्रस्तुत दस्तावेजाता एवं स्थानान्तरण आदेश दिनांक 02.01.2025 को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के पद पर मुख्यालय दूनी, सहायक निदेशक कृषि (वि.) दूनी में कार्यरत है। अपील में वर्तमान पदस्थापन दूनी कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विपणन) दर्शाया है, जो कि गलत है। अपीलार्थी को सहायक निदेशक कृषि (वि.) दूनी से सहायक निदेशक कृषि (वि.) टोंक के मुख्यालय निवाई कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। (अनुलग्नक–1) बहस के दौरान अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी की जन्म तिथी 1.7.1965 होने के कारण अपनी सेवानिवृत्ति के कगार पर है। अपीलार्थी दिनांक 01.07.2025 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो जायेगा। अतः आलौच्य आदेश निरस्त कर अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान मुख्यालय दूनी, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) दूनी में ही सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदस्थापित रखे जाने का निवेदन जारी किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया। आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सहायक कृषि अधिकारी के पद पर टोंक जिले के भीतर ही स्थानान्तरित किया गया है। स्थानान्तरण सेवा का अभिन्न अंग है एवं नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह कार्मिकों के सेवाए प्रशासनिक आवश्यकता के अनूसार लेवे। आलौच्य स्थानान्तरण आदेश में हम कोई नियमों का उल्लघंन एवं दुर्भावना नहीं पाते है। अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने के आधार पर खारिज की जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र अन्य लम्बित आवेदन भी इसी प्रकरण पर निस्तारित किए जाते है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**